

Speed post /त्रिव डाक**Violation letter/उल्लंघन पत्र**

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhapura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-
2695202

संख्या: **MCDR-MiFLOPbZn/7/2023-AJM-IBM_RO_AJM**

दिनांक: 23/05/2023

प्रेषित: खान एजेंट,
मारवाड-मुंडवा चुना पत्थर खान,
मेसर्स अंबुजा सिमेन्ट लिमिटेड,
गांव: मुंडवा, तालूका: मुंडवा,
जिला: नागौर (राजस्थान),
पिन: 341026 .
(e-mail: l.shrimali@adani.co.in)

विषय: राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित आपकी मारवाड-मुंडवा चुना पत्थर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 09/04/2023 by undersign in presence of your good-self and Shri. Partha Sarathi Maji, Geologist of your mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to the Review of Mining Plan approved on 12/11/2021 to the extent given below for the year 2022-23: (1) Total of 76 Boreholes with 43000 meters of drilling was proposed during the year 2022-23. The proposed drilling was carried out in the year 2021-22 with 76 Boreholes and 2455 meters of drilling. Resulting shortfall in drilling meters. (2)Green belt development over 1.0 hectare area with 1000 number of plants was proposed. However, gap filling planation with 500 numbers of plants was carried out. Resulting deviation in proposed location of plantation and shortfall in number of saplings.
47	A total of 07 boreholes with 150 meters of drilling were carried out during the year 2022-23. As per rule the, Form-I for commencement of boreholes was not submitted to the Regional controller of Mines.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:
- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दिलिप जैन)

वरिष्ठ खनन भूवैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, नागौर।
4. रक्षित पत्रवली।

वरिष्ठ खनन भूवैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो